07.02.2024

छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी–मार्च, 2024 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार, दिनांक 08 फरवरी, 2024 (माघ 19,1945)

समय 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री ओ. पी. चौधरी, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2023–2024 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री, पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022–23 (01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक) पटल पर रखेंगे।

(3) श्री बृजमोहन अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022–2023 (1 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023) पटल पर रखेंगे।

(4) श्री बृजमोहन अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार –

(i) संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022–2023 (1 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023),

(ii) पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का 59 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022–2023 (1 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023 तक),

(iii) शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2022–2023,

(iv) हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग का अष्टम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022–23 (1 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023 तक),

क्रमशः 2

(v) अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर का एकादश वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2022–2023 तथा

(vi) शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022–2023 (1 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023 तक) पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री अजय चंद्राकर, अनुज शर्मा, श्रीमती भावना बोहरा, सदस्य, प्रदेश में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल भवनों के पुनर्निर्माण करने के नाम पर अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य, जिला–सुकमा के टेकलगुड़ेम में नक्सली मुठभेड़ में तीन जवानों के शहीद होने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक– 65, भिलाई नगर के सदस्य, श्री देवेन्द्र यादव को फरवरी–मार्च, 2024 सत्र में दिनांक 5 फरवरी, 2024 से दिनांक 1 मार्च, 2024 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, जिला धमतरी अंतर्गत –

(i) नगर पंचायत कुरूद में संचालित स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कन्या छात्रावास भवन निर्माण करने,

(ii) नगर पंचायत कुरूद में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल को 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन करने,

(iii) ग्राम कोर्रा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खोलने,

(iv) कुरूद में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में स्मार्ट एग्रीकल्चर एवं सोलर टेक्नीशियन संकाय खोलने,

(v) नगर पंचायत भखारा में लाइवलीहुड कॉलेज खोलने,

(vi) नगर पंचायत कुरूद में बी.एड. कॉलेज खोलने,

(vii) नगर पंचायत कुरूद में पॉलीटेक्निक कॉलेज ख़ोलने तथा

(viii) नगर पंचायत कुरूद में संचालित स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बी.ए.एलएलबी. पांच वर्षीय पाठ्यक्रम खोलने **के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।**

क्रमशः 3

6. लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिये नौ–नौ सदस्यों का निर्वाचन

श्री ओ. पी. चौधरी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

''सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3), नियम 223 के उप नियम (2), नियम 223–ख के उप नियम (1) तथा 223–ग के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार क्रमशः लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिये वित्तीय वर्ष 2023–2024 की शेष अवधि तथा वित्तीय वर्ष 2024–2025 की अवधि हेतु अपने में से नौ–नौ सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।''

7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये नौ सदस्यों का निर्वाचन

श्री रामविचार नेताम, आदिम जाति विकास मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

'''सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम– 234– ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये वित्तीय वर्ष 2023–2024 की शेष अवधि तथा वित्तीय वर्ष 2024–2025 की अवधि हेतु अपने में से नौ सदस्य, जिनमें से क्रमशः तीन–तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।''

8. माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, द्वारा दिनांक 05 फरवरी,2024 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा:–

''माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।''

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,
दिनांक 07 फरवरी, 2024